



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/127 पार्ट-7/संस्था/बीमा/00472/

दिनांक : 09-10-2023

आदेश 242

वित्त (बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(59) वित्त/राजस्व/92 पार्ट दिनांक 10.08.2022 एवं 04.01.2023 द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए विभाग में पूर्वानुसार पर्यवेक्षक के पद को यथावत रखते हुए पत्र क्रमांक प.4(59) वित्त/बीमा/1992 पार्ट दिनांक 05.10.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से मंत्रालयिक संवर्ग के कौडर का पुर्ननिर्धारण किया जाने एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(26) वित्त(ग्रुप-2)/93 दिनांक 11.07.2023 द्वारा बीमा विभाग में पर्यवेक्षक के पद को राजपत्रित घोषित किये जाने के अनुसरण में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 712 दिनांक 08.03.2023 को प्रत्याहरित (Revoke) किया जाता है। अतः पूर्वानुसार विभाग में पर्यवेक्षक एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों की आपसी वरिष्ठता पृथक - पृथक संधारित की जाएगी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्रमांक 4841-91

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. वरि.अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग/समस्त जिला कार्यालय/मुख्यालय/समस्त योजना कार्यालय
6. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
7. कौडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Hem Pushpa
Sharma
Designation : Director
Date: 2023.10.06 19:42:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4859907

